न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, एटा।

सत्र परीक्षण संख्या 115 / 2019

राज्य —बनाम— भूरा उर्फ चकवा

मु0अ0स0 210 / 2018

धारा 25 आयुध अधिनियिम

थाना–सकीट जिला–एटा।

02.06.2026

पत्रावली पेश हुई। गवाह उपनिरीक्षक सत्येन्द्र कुमार सोनकर हाल तैनाती पुलिस लाइन फिरोजाबाद उपस्थित आये। उनके द्वारा न्यायालय में सशपथ बयान किया है कि माननीय न्यायालय से प्राप्त अभि० भूरा उर्फा चकवा पुत्र कामिल बंजारा, निवसी– बड़ा हाट, थाना– घिरोर, जनपद– मैनपुरी, के विरुद्ध NBW, 82 CrPC व 83 CrPC की तामील मेरे द्वारा मौके पर जाकर की गई तो उसके परिवार वालों के द्वारा पता चला कि अभि० चकवा उर्फ भूरा पुत्र कामिल बंजारा, निवासी– बड़ा हाट, थाना– घिरोर, जनपद– मैनपुरी, की मृत्यु एक वर्ष पूर्व हो चुकी है। अभि० की मृत्यु के सम्बन्ध में मेरे द्वारा ग्राम प्रधान से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया जो संलग्न आख्या है। मृत्यु आख्या सत्र परीक्षण सं० 112/2019 की पत्रावली पर कागज़ सं 46 अ/1 तथा मृत्यु प्रमाण पत्र कागज़ सं 46 अ/2 के रूप में मौजूद है। जो कि आज मेरे समक्ष है इसकी इसकी सत्य प्रति की नकल सत्र परीक्षण सं० 110/19 में दाखिल की जा रही है। इस प्रकार अभियुक्त चकवा उर्फ भूरा की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभि० भूरा उर्फा चकवा पुत्र कामिल बंजारा, निवसी– बड़ा हाट, थाना– घिरोर, जनपद– मैनपुरी, की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध सत्र परीक्षण संख्या 115 / 2019 राज्य बनाम भूरा उर्फ चकवा, की पत्रावली में इस अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई अभियुक्त नहीं है। इस कारण इस वाद की कार्यवाही इस स्तर पर समाप्त की जाती है।

दिनांक 02.06.2026

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, एटा।